भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–44 / 2018–19

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
21.06.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 6.7.18 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 6.7.18 को उपस्थापित करें । 21.6.17 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
06.07.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के पत्रांक 22 (बी), दिनांक 29.06.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 29.06.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **ललित दास**, पिता–**स्व0 स्व0 दुर्गा तांती**, जाति–**तांती (अ.पि.वर्ग.)** ग्राम–**नन्दपुर**, थाना–**मनोहरपुर**, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा–**नन्दपुर**, थाना नं0–**85**, खाता नं०–**154**, प्लॉट नं0–**1022**, रकवा **0.05 ए0** क्रेता **रितेश कुमार महतो**, पिता–**श्री निरेन्द्री महतो**, ग्राम–**नन्दपुर**, जाति–**कुर्मी (अ.पि.वर्ग.)**, थाना–**मनोहरपुर**, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते है। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **ललित दास**, पिता–**स्व0 स्व0 दुर्गा तांती**, जाति–**तांती (अ.पि.वर्ग.)** ग्राम–**नन्दपुर**, थाना–**मनोहरपुर**, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना–**मनोहरपुर** एवं जिला–**प0 सिंहभूम चाईबासा** के निवासी है। विक्रेता जाति **तांती (अ.पि.वर्ग)** एवं क्रेता जाति **कुर्मी (अ.पि.वर्ग.)** समुदाय के सदस्य है। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि चिकित्सा हेतु बेचना चाहते है। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को मनोहरपुर अंचल अंतर्गत **रकवा 4.45 ए0** अवशेष भूमि बचता है । अंचल अधिकारी, **मनोहरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता **रितेश कुमार महतो**, पिता–**श्री निरेन्द्री महतो**, ग्राम–**नन्दपुर**, जाति–**कुर्मी (अ.पि.वर्ग.)**, थाना–**मनोहरपुर**, जिला प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की **स्वीकृति** छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। लेखापित 6.7.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर 6.7.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता0 .... से ....तक

केस का प्रकार TA Misc. Case No. 44 / 2018–19

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख स
5/6/18	आवेदक **ललित दास**, पिता **स्व0 दुर्गा तांती**, जाति–तांती (अ॰पि॰वर्ग॰), ग्राम–नन्दपुर, थाना–**मनोहरपुर**, जिला प॰ सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन **मौजा–नन्दपुर**, थाना नं0–85, खाता नं॰–154, प्लॉट नं॰–1022, रकवा–0.05 ए0, क्रेता **रितेश कुमार महतो**, पिता–**श्री निरेन्द्री महतो**, जाति–**कुर्मी** (अ॰पि॰वर्ग॰), ग्राम–**नन्दपुर**, थाना–**मनोहरपुर**, जिला प॰ सिंहभूम के पास जमीन बिक्री/भू–हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो ''ए./बी.'' के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है ।	

मौजा	थाना सं0	थाना	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा एकड़ में
नन्दपुर	85	मनोहरपुर	154	1022	0.05 ए0

आवेदक को **2,00,000/– (दो लाख)** रूपए की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का रकवा **0.05 ए0** को कुल कीमत **2,00,000/– (दो लाख)** रूपए मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो ''ए./बी.'' के अंतर्गत बिक्री करना चाहते है।

आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी **मनोहरपुर** से अपना जांच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित **दिनांक** 20.6.18 तक मांग करें ।

अभिलेख **दिनांक** 21.6.18 को उपस्थापित करें ।

लेखापित एवं संशोधित

[signature] 5-6-18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

[signature] 5-6-18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर